ग्राम पंचायत पनापर, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पनापर, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रत्तन चन्द	01.04.2013 से 22.1.2016
2	श्री दिनेश परिहार	23.2.2016 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री प्रवीण कटोच	1.4.2013 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत पनापर के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवम् निरीक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	1.95
2	6	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.66
3	7	क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टि न करना	0.98
4	8	अनुदानों का उपयोग न करना	8.45

5	10	भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	0.60

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत पनापर, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.2.2017 से 22.02.2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवम् व्यय के लिए निम्न प्रकार से चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	03/2014	12/2013
2014–15	03/2015	07/2014
2015–16	03/2016	01/2016

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवम् अभिलेख पर आधारित है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना के गलत/अपूर्ण अथवा उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत पनापर, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। इस राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 22.02.2017 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः इस अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत पनापर, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(क) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत पनापर के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	216077	72921	288998	90466	198532

2014–15	198532	123758	322290	77067	245223
2015–16	245223	44997	290220	97736	192484

(ख) अनुदानः– ग्राम पंचायत पनापर के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	133081	3678440	3811521	3740050	71471
2014–15	71471	1812563	1884034	1471170	412864
2015–16	412864	2892239	3305103	2460152	844951

4.1 बैंक समाधान विवरणः–

(क) विभिन्न रोकड़ बहियों के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष (क+ख) ₹1037435
(ख) विभिन्न बैंक खातों के दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष

1	खाता संख्या 20049026626 (KCCB-Dheera)	₹117957
2	खाता संख्या 20049074702 (-do-)	₹794986
3	खाता संख्या 50055974921 (-do-)	₹13564
4	खाता संख्या 50055974863 (-do-)	₹40578
5	खाता संख्या 50055974896 (-do-)	₹1616
6	खाता संख्या 50055974852 (-do-)	₹63730
7	खाता संख्या 50056000923 (-do-)	₹10771
8	खाता संख्या 50056000934 (-do-)	₹158899
9	खाता संख्या 50055974909(-do-)	₹173463
10	खाता संख्या 87720100055333 (HGB-Dheera)	शून्य
	कुल योग	**₹1232564**
	अन्तर	**₹195129**

ग्राम पंचायत पनापर के विभिन्न बैंक खातों में रोकड़ बहियों के अन्तशेष में ₹195129 अधिक जमा पाये गए, जिसका कारण सम्भवतः विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाई गई कोई अनुदान राशि है, जिसकी पड़ताल करने के लिए, सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001, दिनांक 18.02.2017 द्वारा अनुरोध किया गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक अन्तर राशि का समाधान नहीं किया गया।

4.2 रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों

की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व (गृहकर) की वसूली बारेः–

ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोतों से अर्जित आय का, उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर ₹1715 की वसूली शेष थी (**परिशिष्ट–II**)। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, इसकी अतिशीघ्र वसूली की जाये।

6 औपचारिकताओं को पूर्ण किये ही ₹0.66 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखें, संकर्म, बजट व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा सामग्री का क्रय करने की औपचारिकताएँ निर्दिष्ट है। परन्तु चयनित माह के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही क्रय किया गया।

क्र0सं0	**वा0सं0**	**विवरण**	**आपूर्तिकार का नाम**	**बिल सं0**	**अंकेक्षण आपत्ति**
1	18 माह 7/14	120 F3 क्रशर तथा 120 F3 रेत	मै0 राज सीमेन्ट व हार्डवेयर	20 दिनांक 17.5.14 ₹9450	भाव दरों का न होना
2	123 माह 1/16	क्रशर	श्री अशोक शर्मा	588 दिनांक 5.12.15 ₹44095	–यथोपरि–
3	124 माह 1/16	रेत	–यथोपरि–	589 दिनांक 5.12.15 ₹12820	–यथोपरि–
			कुल	**₹66365**	

अतः सामग्री का नियमानुसार क्रय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, इस अनियमितता को, सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 क्रय किये गए ₹0.98 लाख के सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में ग्राम पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान/सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ नहीं की गई। और न ही उपयोग लेखा तैयार किया गया था। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट

की जाये व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	विवरण	आपूर्तिकार	बिल सं0
1	80 माह 12/13	लेखन सामग्री	–	31, दिनांक 27.12.13 ₹550
2	19 माह 7/14	–यथोपरि–	न्यूगल प्रिटिंग प्रैस	240, दिनांक 25.4.14 ₹710
3	20 माह 7/14	सोलर लाईट	हिम ऊर्जा, धर्मशाला	शून्य ₹57351
4	23 माह 7/14	–यथोपरि–	–यथोपरि–	शून्य ₹38234
5	135 माह 1/16	लेखन सामग्री	न्यूगल प्रिटिंग प्रैस	शून्य दिनांक 10.1.16 ₹170
6	136 माह 1/16	–यथोपरि–	–यथोपरि–	689 दिनांक 10.1.16 ₹280
7	137 माह 1/16	–यथोपरि–	–यथोपरि–	शून्य दिनांक 10.1.16 ₹300
			कुल योग	**₹97595**

8 अनुदान ₹8.45 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–1** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹844951 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 माप पुस्तिकाओं के रख–रखाव बारेः–

ग्राम पंचायत द्वारा विकासात्मक कार्यों का लेखा का रख रखाव नियम 101 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा रखी गई माप पुस्तिकाओं में कहीं भी विकासात्मक कार्यों की प्रविष्टियों को

प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाया गया है, जोकि अनियमित है। अतः सभी माप पुस्तिकाओं को नियमानुसार प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाए।

10 भुगतान से सम्बन्धित ₹0.60 लाख के अभिलेख प्रस्तुत न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख यथा माप पुस्तिकाएं तथा प्राक्कलन इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाये गए, जिस कारण इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र0सं0	वा0सं0	भुगतान का विवरण	राशि
1	मस्ट्रोल संख्या 3427 माह 1/16 (मनरेगा)	सर्व श्री दिग्गविजय कंचन आदि की जमीन का विकास	13608
2	मस्ट्रोल संख्या 3428	—यथोपरि—	11664
3	मस्ट्रोल संख्या 3622	—यथोपरि—	17334
4	मस्ट्रोल संख्या 3623	—यथोपरि—	14742
5	मस्ट्रोल संख्या 3624	—यथोपरि—	3078
		कुल योग	**₹60426**

अतः आगामी अंकेक्षण में इन भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत किये जाये, अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	—

5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

12 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13 **निष्कर्षः—** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 96/2017—खण्ड—1 —4124—4127 दिनाँक 05—07—17
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत पनापर, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881